

FAX

संख्या /54-1-2012/8 (9)/2012 टीसी स0ब0

प्रेषक,

डी0एस0 शर्मा,
विशेष सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

- 1- आयुक्त एवं प्रशासक,
शारदा सहायक समादेश,
23 सी गोखले मार्ग, लखनऊ ।
- 2- अध्यक्ष एवं प्रशासक,
रामगंगा समादेश, 117/एच-2/193
पाण्डुनगर, कानपुर ।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 18 मई, 2012
विषय- समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्टेट लेविल डाटा सेन्टर
तथा जनपद स्तर पर वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर में टेक्निकल
एक्सपर्ट एवं अन्य कार्मिकों की सेवा प्रदाता (Service Provider)
के माध्यम से लिए जाने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया शासन के पत्र संख्या -225/54-1-2012/8 (9)/2012 टीसी
स0ब0 दिनांक 11 मई, 2012 (प्रतिलिपि संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट
करें । पत्र के द्वारा दोनों सेवा प्रदाताओं को यह निर्देश दिये गये हैं कि स्टेट
लेविल डाटा सेन्टर तथा जनपद स्तर पर वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर में
तैनात कर्मचारियों को सक्षम स्तर की रास्तुति प्राप्त किये बिना किसी कार्मिक की
सेवाये रामाप्त न की जाय और न ही किसी नये कार्मिक की नियुक्ति की जाये ।
अतः आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि उक्त आदेशों का परिपालन

सुनिश्चित करें ।

संलग्नक-यथोपरि ।

भवदीय,

(डी0एस0 शर्मा)

विशेष सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी ।

संख्या 238 (1)/54-1-2012/8 (9)/2012 टीसी स0ब0 तदुदिनांक ।

प्रतिलिपि- संलग्नकों सहित समस्त मण्डलीय उप निर्देशकों को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संलग्नक-यथोपरि ।

(डी0एस0 शर्मा)

विशेष सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी ।

T.E (I.T.)
For E mail

(के० 21-5-12)
प्रशासनिक अधिकारी
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी
समेकित वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम
भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग
लखनऊ

श्री 11/5/12

S.O.

उत्तर प्रदेश शासन

11-5-2012

(21/5/12)

11-5-12

संख्या 225/54-1-2012/8 (9)/2012 टीसी

उत्तर प्रदेश शासन

प्रेषक,

डी0एस0 शर्मा,

विशेष सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1-

प्रबन्ध निदेशक,

वाणी सिस्टम प्राइवेट लि0,
आंध्रा बैंक के ऊपर
16 विधान सभा मार्ग,
लखनऊ-226001

2-

प्रबन्धक,

विग्योर इन्फो प्रा0 लि0
प्रथम तल, बी-ब्लॉक,
रोहित भवन, सप्रूमार्ग,
लखनऊ ।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 11 मई, 2012

विषय- समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्टेट लेविल डाटा सेन्टर तथा जनपद स्तर पर वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर में टेक्निकल एक्सपर्ट एवं अन्य कार्मिकों की सेवायें सेवा प्रदाता (Service Provider) के माध्यम से लिए जाने के संबंध में ।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह आया है कि आप द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी आई0डब्ल्यूएम0पी0, उ0प्र0 शासन के संज्ञान में लाये बिना स्टेट लेविल डाटा सेन्टर तथा जनपद स्तर पर वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर में तैनात करिष्य कर्मचारियों को हटा दिया गया है तथा उन्हें एसएमएस भी किया गया है एवं अन्य कर्मचारियों की तैनाती करने के आदेश भी दिये गये हैं । इस प्रकार आप द्वारा स्वेच्छाचारिता पूर्ण कार्यवाही किये जाने से डाटा सेल का कार्य प्रभावित हो रहा है ।

शासन के पत्र संख्या-453/54-1-11-1(समादेश)/2010 दिनांक 23.05.2011 के प्रस्तर -3 तथा दोनों पक्षों के मध्य किये गये अनुबन्ध के विपरीत आप द्वारा उक्त कृत्य किया जा रहा है ।

आपको यह निर्देशित किया जाता है कि स्टेट लेविल डाटा सेन्टर तथा जनपद स्तर पर वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर में तैनात कर्मचारियों को सक्षम

स्तर की संस्तुति प्राप्त किये बिना किसी कार्मिक की सेवायें रागाप्त न की जाय
और न ही किसी नये कार्मिक की नियुक्ति की जाये ।

भवदीय,

(डी०एस० शर्मा)

विशेष सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
ए/स्टेट लेबिल नोडल एजेन्सी ।

संख्या २३५ (1)/54-1-2012/8 (9)/2012 टीसी तददिनांक ।

प्रतिलिपि:—निजी सचिव, प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र०
शासन ।

2—उप निदेशक समादेश बन्धु, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र०
शासन ।

3—प्रशासनिक अधिकारी स्टेट लेबिल डाटा सेन्टर 23सी गोखले मार्ग लखनऊ को
सूचनाार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से,

(डी०एस० शर्मा)

विशेष सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
ए/स्टेट लेबिल नोडल एजेन्सी ।

Sharma
08/5/2012